संख्या –– /XXIV(6)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 27 मई, 2013

विषय : आलोच्य वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आयोजनागत पक्ष में विश्वविद्यालय के कार्यालय हेतु नवीनीकरण करने एवं परिवर्तन परिवर्धन हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी के पत्र संख्याः SDSUV/CONST./196 दिनांक 12, अप्रैल–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहरण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बादशाहीथौल (चम्बा) स्थित पूर्व महाविद्यालय भवनों को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कार्यालय हेतु नवीनीकरण करने एवं परिवर्तन परिवर्धन करने हेतु शासनादेश संख्याः 50(4)/XXIV(6)/2013 दिनांक 20 मार्च, 2013 द्वारा ₹ 113.51 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए 106.68 लाख के कार्यों को उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किए जाने की मात्र प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कुलपति के उक्त पत्र में किये गये प्रस्तावानुसार आलोच्य वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उपरोक्त धनराशि ₹ 106.68 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 75,00,000/–(₹ पिचहत्तर लाख मात्र)** की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाय एवं विशेष रूप से किये जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आगणन में की जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

3– इस अनुदान के बिल पर **मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगे।** उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में विहित शर्तों के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा।

4– व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 डी0जी0 एस0एण्डडी0 की दर तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा।

5– स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

6– निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा।

7– शासनादेश संख्याः 50(4)/XXIV(6)/2013 दिनांक 20 मार्च, 2013 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेगी। सुसंगत मानक मद में नैट के माध्यम से बजट आंबटन विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–आयोजनागत्–18–एफीलियेटिंग विश्वविद्यालय–00–35–पूंजीगत परिसम्मपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नाम डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 15 (P)/XXVii(3)/2013–14 दिनांक 17 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 56(4)/XXIV(6)/2013 दिनांकितः
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी टिहरी।
4. कोषाधिकारी, टिहरी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
7. इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, नई टिहरी।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. प्रभारी, वित्तीय डाटा सेंटर, 23–लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव